न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आरएएस

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 136/2024

1. सुखराम पुत्र श्री चन्दुराम जाति नायक निवासी 20 एमएल 'बी' तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. मनोहर लाल पुत्र श्री चन्दु राम जाति नायक निवासी 20 एम एल 'बी' तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. धर्मपाल पुत्र श्री सुखराम जाति नायक निवासी 20 एम एल 'बी' तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. रोशनी पुत्री चन्दुराम पत्नी मामराज जाति नायक निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
3. मीरा पुत्री चन्दुराम पत्नी हेतराम निवासी ताखसांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. सुमन पुत्री चन्दुराम पत्नी भादरराम निवासी लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ़ (राज0)
5. कमला पुत्री चन्दुराम पत्नी भजन लाल निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
6. चुरसी देवी पुत्री चन्दुराम पत्नी स्तीराम निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
7. चन्दुराम पुत्र जालुराम जाति नायक निवासी 20 एम एल 'बी' तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल मर्ज–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डुंगरसिंहपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या–1
3. श्री सुखराज चारण अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या–7
4. पैरोकार — अप्रार्थी – 8

अप्रार्थी संख्या 2 ता 6, 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 06.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के दादा जालुराम पुत्र कालुराम को भारत सरकार द्वारा चक 20 एम एल 'बी' मु.नं.25 कि.नं. 1/4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

में 0.1010 है., 9/3 में 0.089 है.,10, 11, 12 प्रत्येक साल, 13/3 में 0.0890, 17/3 में 0.0880 है., 18, 19, 20 प्रत्येक सालम, 21/1 में 0.240 है., किला नं. 22/1 में 0.240 है., 23/1 में 0.240 है., 24/1 में 0.240 है., 25/3 में 0.0750 है. कुल नहरी 0.949 है. बारानी 1.9710 हैक्टेयर रकबा भारत सरकार द्वारा अलाट किया गया था। जालुराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद उपरोक्त तमाम जमीन अप्रार्थी संख्या–7 के नाम दर्ज की गयी थी तथा उपरोक्त रकबा की सनद 29/05/2012 को चन्दुराम पुत्र जालुराम के नाम जारी की गयी तथा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में चन्दुराम के नाम दर्ज की गयी। नकल जमाबन्दी, नकल सनद खातेदारी शामिल दावा है । उक्त वर्णित रकबा पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण को सयुंक्त रूप से तहसील श्रीगंगानगर के चक 20 एम एल 'बी' मुरब्बा नम्बर 25 नहरी 0.949 हैक्टेयर एवं बारानी 1.9710 हैक्टेयर कुल 2.9200 हैक्टेयर रकबा घरू तौर पर प्रार्थीगण को दिया हुआ है जिस पर अब भी कब्जा मौके पर प्रार्थीगण का चला आ रहा है तथा अब मौके पर प्रार्थीगण की फसल काश्त की हुई है। अप्रार्थी संख्या 7 चन्दुराम जो बुजुर्ग व्यक्ति है तथा नशा करने का आदि है तथा उसे शुद्व बुद्व नहीं रहती तथा वृद्वावस्था के कारण मानसिक अप्रार्थी स्थिती भी ठीक नहीं रहती है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए संख्या–1 धर्मपाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 को गुमराह करके कोई दस्तावेज बना लिया है तो प्रार्थीगण को इसकी कोई जानकारी नहीं है । 4–5 दिन पहले अप्रार्थी संख्या 1 खेत में आकर कहने लगा कि चक20 एमएल किला नम्बर–11 में एक बीघा रकबा मैने चन्दुराम से लिखवा लिया है तथा अब इस पर मैं जबरन कब्जा करूंगा तो वादीगण द्वारा कहा कि यह रकबा तो हमें घरेलू तौर पर सयुंक्त रूप से दिया हुआ है इसका कब्जा हमारे पास है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 7 चन्दुराम इस किला नम्बर–11 को किसी को नहीं दे सकता क्योंकि उसके द्वारा जमीन हमें दी हुई है तथा जमीन का कब्जा शान्तिपूर्वक हमारे पास चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से यह कहा गया कि उक्त किला के सम्बन्ध में जो आपको लिखकर दिया है वह हमें दिखायें तो अप्रार्थी संख्या–1 ने दस्तावेज दिखाने से साफ इन्कार कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी कि दोबारा मौका लगने पर जबरन इस जमीन पर कब्जा कर लूंगा तथा मेरी राजनीतिक पहूंच है तथा पुलिस वाले मेरे साथी है। अप्रार्थी संख्या–1 किसी भी समय जमीन पर कब्जा कर सकता है इसलिए अब प्रार्थी को वाद लाने के अलावा ओर कोई चारा नहीं रहा है। यह बिना दावा हाजा है। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी के दादा जालुराम की है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार बनता है क्योंकि प्रार्थीगण का दादा मरने के बाद प्रार्थीगण के पिता के नाम रकबा दर्ज किया गया था जिसमें चन्दुराम के कुल 7 वारिस है जिसमें प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण की बहनों की शादी हो चुकी है जोकि अपने अपने घरों में सुख से आबाद है तथा उक्त तमाम रकबा का कब्जा घरू तौर पर प्रार्थीगण के पास है जिसे प्रार्थीगण अपने नाम करवाने के हकदार है। सयुंक्त परिवार की सम्पति में प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार ळें अधिकार होने के नाते प्रार्थी अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थी धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत करके अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 7 को किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी को आगे रकबा मुन्तकिल करें क्योंकि उसे अधिकार नहीं है कि सयुंक्त परिवार की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सम्पति है बल्कि अप्रार्थी संख्या–7 द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 को कुछ लिखकर नहीं दिया। जमीन कीमती होने के कारण वह प्रार्थीगण के रकबा पर जबरन कब्जा करना चाहता है बल्कि उसे ऐसा करने का अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थी कानून को अपने हाथ में लेकर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त पर जबरन कब्जा करना चाहता है अगर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए प्रार्थीगण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए धारा 88,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद साथ में है। प्रथम दृष्टि से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण के दावे का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा तहसील श्रीगंगानगर के चक 20 एम एल 'बी' मु.नं. 25 किला नम्बर –1/4 में 0.1010 है., 9/3 में 0.089 है., 10, 11, 12 प्रत्येक सालम, 13/3 में 0.0890, 17/3 में 0.0880 है., 18, 19, 20 प्रत्येक सालम, 21/1 में 0.240 है., किला नं. 22/1 में 0.240 है., 23/1 में 0.240 है., 24/1 में 0.240 है., 25/3 में 0.0750 है. कुल नहरी 0.949 है. बारानी 1.9710 हैक्टेयर कुल 2.9200 हैक्टेयर रकबा की मौका व रिकार्ड की यथास्थिती कायम रखे जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार** भूमि का कब्जा काश्त वादीगण के पास है क्योंकि अप्रार्थी 81 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है तथा गत 13–14 वर्षो पूर्व घरेलू तौर पर बंटवारा कर भूमि का कब्जा वादीगण को बराबर–बराबर बांटकर संभलाया हुआ है। अप्रार्थी संख्या–7 बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्वावस्था के कारण मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है। शेष कथनों के जवाब में वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या–7 को आज से करीब 2 वर्ष पूर्व माह अगस्त 2022 में 1,50,000/– रूपयों की आवश्यकता थी इसलिए अप्रार्थी संख्या 7 अपनी आढ़त की दुकान पर धान मंडी श्रीगंगानगर में अपने आढ़तिया के पास रूपये उधार लेने गया तो आढ़तिया द्वारा कहा गया कि 5–7 दिनों में आ जाना, अभी इतने रूपये नहीं है। उस समय आढ़त की दुकान पर अप्रार्थी संख्या 1 धर्मपाल भी मौजूद बैठा था। उसी रोज शाम के समय अप्रार्थी संख्या–1 मुझ अप्रार्थी संख्या 7 के पास घर आया और आढ़त की दुकान से रूपये उधार दिलाने का आश्वासन दिया, इसके बाद अप्रार्थी संख्या – 1 लगातार 2–3 दिनों तक घर पर आता रहा और कहने लगा कि आढ़तिया रूपये उधार देने के लिए तैयार हो गया है लेकिन ब्याज 2/– रूपये सैंकड़ा लगेगा। मुझ अप्रार्थी को रूपयों की आवश्यकता थी तो मैं उक्त ब्याज दर पर रूपये उधार लेने के लिए तैयार हो गया। दिनांक–18/08/2022 को अप्रार्थी संख्या 1 धर्मपाल, अप्रार्थी संख्या–7 के घर पर अपनी वैन लेकर आया, जिसमें पहले से ही गांव 20 एमएल 'बी' तहसील श्रीगंगानगर निवासी जगदीश राम पुत्र मंगलाराम व प्रदीप कुमार पुत्र कृष्ण लाल भी वैन में सवार थे। अप्रार्थी संख्या – 1 पहले मुझ अप्रार्थी को आढ़त की दुकान पर लेकर गया, जहां पर अप्रार्थी संख्या–1 एवं जगदीश राम व प्रदीप कुमार ने आढ़तिया से कुछ बातचीत की तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या–1 ने मुझ अप्रार्थी को कहा कि आढ़तिये ने यह कहा है कि 1,50,000/– रूपये की बहुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बड़ी रकम है इसके लिए एक शर्त तो ये है कि उक्त उधार दी जाने वाली रकम के सम्बन्ध में प्रोनोट व स्टाम्प पर हलफनामा लिखकर देना होगा इसके अलावा जब तक रूपये चुकता नहीं हो जाते तब तक तमाम फसल नरमा, कपास, ग्वार, मूंग, सरसों इत्यादि उनकी दुकान पर लाकर ही बेचनी होगी। अप्रार्थी उक्त शर्त पर रूपये उधार लेने के लिए तैयार हो गया तथा अप्रार्थी संख्या–1 की बातों पर विश्वास कर उसके साथ लिखापढ़ी करने हेतू चला गया। मुझ अप्रार्थी संख्या 7 को अप्रार्थी संख्या–1 तहसील परिसर में ले गया जहां पर अप्रार्थी संख्या–1 ने कई कागजात तैयार करवाये और अप्रार्थी संख्या–7 को बिना पढ़कर सुनाये, समझाये, अगूंठा निशान लगवा लिये, जब अप्रार्थी संख्या – 7 ने अप्रार्थी संख्या–1 से कागज की तहरीर पढ़कर सुनाने को कहा तो अप्रार्थी संख्या–1 ने कहा कि कोई लम्बी चौड़ी कहानी नहीं है बस अगूंठा लगाओ। इसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या – 1 मुझ अप्रार्थी को पुनः आढ़त की दुकान पर लेकर गया और मुनीम से रूपये दिलवा दिये । मुनीम ने आढ़त की लेखा पुस्तकों में भी अप्रार्थी संख्या 7 के अगूंठा निशान लगवाये थे। अप्रार्थी संख्या 1 ने मुझ अप्रार्थी संख्या 7 को वद्धावस्था, अनपढ़ होने एवं मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर जगदीश राम व प्रदीप कुमार के साथ एकराय होकर साजिशन उधार रूपये दिलाने के बहाने से उधार दिलाये गये रूपयों की ऐवज में अप्रार्थी संख्या 7 को गुमराह कर प्रोनोट व हलफनामा लिखवाकर देने की आड़ में छलपूर्वक धोखाधड़ी से कोई कुटरचित दस्तावेज भूमि के बेचान सम्बन्धी तैयार करवा लिये, जिसकी मुझ अप्रार्थी संख्या 7 को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त तथ्यों की जानकारी अप्रार्थी संख्या–7 को तब हुई जब अप्रार्थी संख्या 7 अपने पुत्र मनोहर लाल वादी संख्या–2 को साथ लेकर अप्रार्थी संख्या–1 धर्मपाल के पास माह अगस्त 2024 के प्रथम सप्ताह में, उधार ली गयी राशि आढ़तिये को वापिस लौटाने के लिए मिलने गया तो अप्रार्थी संख्या–1 ने रूपये वापिस लेने से मना करते हुए कहा कि आढ़तिये को रूपये वापिस करने की जरूरत नहीं है। आढ़तिये ने रूपयों की सिक्योरिटी पेटे आपकी जमीन में से 1 बीघा भूमि की रजिस्ट्री उसके (अप्रार्थी संख्या 1) नाम करवा रखी है, 60–70 हजार रूपये ओर दिलवा देता हूं, जमीन का कब्जा मुझे दे दो। अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त कृत्य की जानकारी होने पर पंचायत की गयी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने यह बात स्वीकार की कि उसने तथ्य छिपाकर भूमि की रजिस्ट्री करवायी है तथा भूमि का जबरन कब्जा लेने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या–1 माह अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताहांत में अप्रार्थी सं.7 के घर पर आया और प्रार्थना पत्र की पैरा सं. 2 में वर्णित आराजी में से किला नं. 11 का जबरन कब्जा लेने की धमकी दी तथा अपनी राजनीतिक पहूंच होने व पुलिस का भय दिखाया था । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–8 में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है बल्कि स्वीकार है । हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण का सहदायिकी (कोपार्सनर) की हैसियत से विरास्तन हक व अधिकार प्राप्त होता है तथा मौका पर भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पास है। अप्रार्थी संख्या – 7 के पिता जालूराम का सयुंक्त हिन्दु परिवार था जो कि इस सयुंक्त हिन्दु परिवार के कर्ता खानदान की हैसियत रखते है तथा भूमि का मूल रूप से आंवटन जालूराम के नाम से ही हुआ था। जालुराम की मृत्यु अरसा पूर्व होने पर अप्रार्थी संख्या 7 इस सयुंक्त हिन्दु परिवार के कर्ता के रूप में सुस्थापित हुआ और उक्त आराजी की सनद अप्रार्थी संख्या–7 के नाम से जारी की गयी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–4 में वर्णित वंशावली अनुसार अप्रार्थी संख्या–7 के दो पुत्र (वादीगण) एवं 5 पुत्रीया (अप्रार्थीगण संख्या–2 ता 6) है जिनको सयुंक्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रूप से हस्तगत वाद पत्र की पैरा संख्या–2 में वर्णित आराजी पर सहखातेदार (कोपार्सनर) की हैसियत से विरासतन हक व अधिकार प्राप्त हुये है तथा मौका पर वादीगण के संयुक्त कब्जा काश्त में है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या – 10 में अंकित तथ्य स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या–7 को वाद पत्र की पैरा संख्या–2 में वर्णित भूमि या उक्त भूमि में से किला नम्बर–11 को बेचान करने की कभी भी कोई इच्छा नहीं रही और ना ही ऐसी कोई मजबूरी रही । अप्रार्थी संख्या – 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या–7 को गुमराह कर आढ़तिये से उधार दिलाये गये 1,60,000/– रूपये की ऐवज में प्रोनोट व शपथ पत्र लिखवाने की आड़ में साजिशन छलपूर्वक व धोखाधड़ी से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अप्रार्थी संख्या 7 की इच्छा के विरूद्ध वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 की सहमति व रजामन्दी लिए बिना ही एक बीघा भूमि की रजिस्ट्री करवा ली और उक्त बीघा पर अप्रार्थी संख्या 1 जबरन कब्जा करने की फिराक में है। जिसे ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है । यदि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा सदभावी रूप से अप्रार्थी संख्या 7 से उक्त बीघा का रजिस्टर्ड बेयनामा करवाया गया होता तो अप्रार्थी संख्या 1 दो वर्षो तक अपने पास उक्त दस्तावेज को छिपाकर नहीं रखे होता, उसका नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करवाता। इस बात से यह तथ्य साबित होता है कि अप्रार्थी सं.1 ने छलपूर्वक उक्त दस्तावेज अप्रार्थी सं. 7 की इच्छा के विरूद्ध तैयार करवाया है जोकि नियम विरुद्ध है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–11 में वर्णित यह तथ्य स्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 कानून हाथ में लेकर वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने आशय में सफल हो गया और भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। हस्तगत प्रकरण में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश वादीगण के हक में दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 7 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12, 13, 14 एवं 15 कानूनी है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार उक्त अनवानी वाद प्रस्तुत किया जाना स्वीकार हैं परन्तु वाद के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं हैं। चक 20 एम.एल. बी. के मुरब्बा नं. 25 की 0.9490 हैक्टयर नहरी व 1.971 है० बारानी कुल 2.920 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के कब्जा में होना स्वीकार नहीं हैं। उक्त भूमि में मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 की भूमि अप्रार्थी संख्या 7 ने प्रतिफल प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मिन प्रार्थी को दिनांक 18–08–2022 को विक्रय कर कब्जा भूमि दे दिया था और मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 की भूमि पर मिन प्रार्थी खरीद दिनांक से काबिज चला आ रहा हैं। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 में दर्ज तथ्य गलत होने से स्वीकार नहीं हैं। चन्दूराम की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही व अच्छी हैं। प्रार्थी ने इस पैरा में गलत तथ्य दर्ज किये हैं। उक्त भूमि में से मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 की भूमि अप्रार्थी संख्या 7 चन्दूराम ने प्रतिफल प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मिन प्रार्थी को दिनांक 18–08दृ2022 को विक्रय कर कब्जा भूमि दे दिया था और मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 की भूमि पर मिन प्रार्थी खरीद दिनांक से काबिज चला आ रहा हैं। मिन प्रार्थी को विक्रित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीयान का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उक्त भूमि में से मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 की भूमि अप्रार्थी संख्या 7 चन्दूराम प्रतिफल प्राप्त कर जरिये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मिन प्रार्थी को दिनांक 18-08-2022 को विक्रय कर कब्जा भूमि दे दिया था और मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 की भूमि पर मिन प्रार्थी खरीद दिनांक से काबिज चला आ रहा है। मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 की भूमि को छोड़कर माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो मिन प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 6, 9 को जारी सम्मन पर विधिवत तामील होने पर अप्रार्थीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 6, 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि चन्दूराम पुत्र जालूराम को पैतृक भूमि मिली है। वाद में चन्दूराम प्रतिवादी संख्या 7 है। चन्दूराम का प्रकरण में जवाब पेश किया गया है जिसमें स्थगन यथावत रखे जाने का कथन किया गया है। चन्दूराम द्वारा ना तो भूमि का बेचान किया गया है ना ही भूमि के विक्रय की राशि प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हो पाया है। यदि स्थगन कन्फर्म नहीं किया गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रकरण में स्थगन जारी किया जावे। वकील अप्रार्थी 1 की मुख्य बहस यह रही कि अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा के भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया है। जिसके पश्चात् कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त है। चन्दूराम द्वारा जमीन पर लिया गया ऋण बैंक में नहीं चुकता किया गया है। मेरे द्वारा अन्य प्रकरण में अन्तरिम स्थगन प्राप्त किया तो पिता पुत्र ने मिल कर स्थगन इस प्रकरण में प्राप्त कर लिया है। अब स्थगन की आड में मेरे कब्जा में दखलअन्दाजी कर रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 7 की मिली भगत है। अतः प्रकरण में स्थगन खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.08.2022 का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए विधि द्वारा सुस्थापित निम्नांकित 3 बिन्दुओं (1) प्रथम दृष्ट्या मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति पर विचार किया गया।

अप्रार्थी चन्दूराम द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.08.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 20 एम.एल. बी. के मुरब्बा नं. 25 की 0.9490 हैक्टयर नहरी व 1.971 है० बारानी कुल 2.920 हैक्टयर भूमि में से मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 की भूमि अप्रार्थी संख्या 7 ने प्रतिफल प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 18-08-2022 को विक्रय किया जा चुका है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि का मालिक है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला एवम् सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता।

प्रकरण में प्रस्तुत जमाबदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में प्रतिवादी संख्या 7 एकल खातेदार है। प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में से जरिए पंजीकृत विक्रय की गई भूमि मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 11 कुल एक बीघा भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि अन्तरण होने की संभावना हो। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रार्थीगण के पक्ष में प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

गया है। अतः प्रार्थीगण क्लीन हैंड से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है, प्राथीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7 के मध्य दुर्भिसंधि स्पष्ट प्रतीत होती है। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 7 के द्वारा केवल केता खातेदार को नुकसान पहुंचाना स्पष्ट है। प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा के बिना प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार करना न्यायोचित नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 145/2024 बअनवान सुखराम बनाम धर्मपाल व अन्य रहे।

आदेश आज दिंनाक 06.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner